फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

शेराराम बनाम सुगनी आदि

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–170/2024 (GCMS No. 2024/394)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की माता सुगनी पत्नी नन्दराम के नाम से चक 1 के0एस0आर0–ए के खाता नं. 103/96 के पत्थर नं. 37/339 (41) के किला नं. 16 ता 19 में 1.012 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम से खातेदारी अंकित था। दादा के जीवनकाल में उक्त रकबा प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की माता के नाम दर्ज करवा दिया है। उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त है। जैरवाद रकबा में प्रार्थी की माता के नाम 1.012 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा के रकबा पर काश्त प्रार्थी करता आ रहा है। प्रार्थी ने कब्जा काश्त रकबा को समतल कर उपजाउ बनाया है। जैरप्रकरण रकबा पैतृक रकबा है एवं उक्त रकबा प्रार्थी के दादा से विरास्तन प्राप्त है। संयुक्त परिवार का रकबा है। संयुक्त परिवार में रहते हुए इस रकबा में से बजड़ तोड़ कर कृषि योग्य भूमि बनाया है। मौका पर फसल काश्त की हुई है। हिन्दु विधि के प्रावधानों के अनुसार पैतृक रकबा व पैतृक आय से व संयुक्त परिवार को आवंटित रकबा में सभी का विरास्तन बराबर अधिकार होता है। जैर प्रकरण रकबा का बंटवारा करीब 20 वर्ष पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हो चुका है एवं अपने–अपने हिस्सा पर काबिज है। किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की बहने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने आदिनांक तक अपना हिस्सा व कब्जा नही लिया है। उक्त दोनों बहनों का हिस्सा का कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 के पास ही है। अप्रार्थी संख्या 01 को हिस्सा ठेका राशि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 द्वारा दी जा रही है। इसलिये अप्रार्थी नं. 1 के हिस्सा का रकबा का कब्जा भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पास है। अप्रार्थी संख्या 01 की उम्र काफी है तथा बीमार रहती है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 02 के पास रह रही है। अप्रार्थी संख्या 02 बदयान्त हो गया है। अप्रार्थी संख्या 01 का समस्त रकबा दिगर तरीके से बेचान या खुर्द बुर्द करना चाहता है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी टी0आई0 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी ने जैरवाद रकबा पैतृक बताया है। जबकि उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 01 ने सुरजाराम पुत्र रूपराम से दिनांक 10.05.1991 को जरिये पंजीकृत बैयनामा से खरीद किया है। खरीद की दिनांक से अप्रार्थी संख्या 01 जैरवाद रकबा की खातेदार व कब्जा काश्त में है। खातेदार कृषक के विरूद्ध स्थगन जारी नही किया जा सकता है। स्त्री को प्राप्त रकबा उसकी स्वअर्जित सम्पति माना जाता है। जैर प्रकरण रकबा पैतृक ना होकर स्वअर्जित होने से प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 1 के0एस0आर0–ए के खाता नं. 103/96 के पत्थर नं. 37/339 (41) के किला नं. 16 ता 19 में 1.012 हैक्टर अ0क0 भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से खातेदारी अंकित है। उक्त रकबा पैतृक है या अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा स्वयं खरीद किया गया है। यह वाद पत्र में दोनो पक्षों द्वारा लिखित साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही मैरिट पर निर्णय होना है। यदि इससे पूर्व ही वादग्रस्त भूमि का बेचान [illegible] वाद की बहुलता बढ़ेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना [illegible] समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible] अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि [illegible] सूरतगढ़ के चक 1 के0एस0आर0–ए के खाता [illegible] 37/339 (41) के किला [illegible] 16 ता 19 में 1.012 हैक्टर अ0क0 भूमि जो अप्रार्थी [illegible] –01 के नाम अंकित है [illegible] मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रहन, बेय ना करें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:59 IST
Reason: SelfAttested